राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर 0141–2227275 & 2227884 , ई–मेल seprd123@gmail.com, rajpr.sep@rajasthan.gov.in

क्रमांक:एफ.4(53) परावि / पीसी / जजेवाई / क्रियान्वयन / 12 / 2482 जयपुर,दिनांक: 6.09.17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त

विषय :–जनता जल योजना के पम्पचालकों को दिनांक 01.04.2012 से न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार मानदेय भुगतान बाबत।

संदर्भ :– विभागीय समसंख्यक पत्र क्रमांक.2345 दि. 18.8.2017, 2351 दि. 21.8.17, एवं 2399 दि. 29.8.17

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करे जिनके द्वारा जनता जल योजना के पंप चालकों को न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार दिनांक 01.02.2013 से भुगतान करने के आदेश दिये जा चुके है। एसबी सिविल रिट पीटिशन संख्या 15098 / 2012 के निर्णय दिनांक 2.11.16 की पालना के क्रम में जनता जल योजना के पंप चालकों को दिनांक 1.4.12 से न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार भुगतान किया जाना है। इस संबंध में दिनांक 4.9.2017 को आयोजित वी.सी. में भी यह तथ्य स्पष्ट रूप से अवगत कराया जा चुका है।

अतः विभागीय समसंख्यक पत्र कमांक 2399 दिनांक 29.8.17 की निरन्तरता में निर्देशित किया जाता है कि –

1. जनता जल योजना में नियोजित पम्प चालकों को दिनांक 1.4.12 से अकुशल श्रमिक हेतु निर्धारित न्यूनतम दैनिक मजदूरी (समय–समय पर प्रचलित दरों अनुरूप) का भुगतान ही देय होगा। दिनांक 01.04.2012 से 30.04.2012 की न्यूनतम मजदूरी दर 3510 प्रतिमाह एवं दिनांक 01.05.2012 से 31.01.2013 तक न्यूनतम मजदूरी दर 3822 प्रतिमाह निर्धारित है। अतः दिनांक 1.4.12 से दिनांक 31.1.13 तक की अवधि के लिए पूर्व में भुगतान की जा चुकी राशि को समायोजित करते हुये उपरोक्त अंकित न्यूनतम मजदूरी दर के अनुसार बकाया राशि का भुगतान तत्काल किया जावे।
2. विभागीय पत्र कमांक 2399 दिनांक 29.8.17 एवं उपरोक्त अंकित बिन्दू के अनुसार पंप चालकों को दिनांक 1.4.12 से 31.1.13 तक की अवधि का भुगतान कर विभागीय पत्र कमांक 2431 दिनांक 1.9.17 के द्वारा भेजे गये प्रपत्र 1 एवं 2 में पूर्ण सूचना दिनांक 8.9.17 तक ई मेल (seprd123@gmail.com) पर भिजवाना सुनिश्चित करावे।

कृपया इसे सर्वोच्च्च प्राथमिकता प्रदान करावे। यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

भवदीय,

6/9/17

(आर.एस. मक्कड)
अति. आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (प्रशा–2)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. विशिष्ठ सहायक, मा. मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
2. विशिष्ठ सहायक, मा. राज्य मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज
5. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, वित्त विभाग
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग
7. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंराज।
8. संयुक्त शासन सचिव वित्त (व्यय–V) विभाग।
9. वित्तीय सलाहकार, मुख्यालय।
10. उप विधि परामर्शी, मुख्यालय।
11. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त
12. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त
13. ए.सी.पी., पंचायती राज को बैवसाईट पर अपलोड हेतु।
14. जन सम्पर्क अधिकारी, पंचायती राज (sitrammarmat@gmail.com)।

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता